फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

दिलीप सिंह यादव वगै0 बनाम सरकार

मुकदमा नं0 :— 313/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 1961/107 रकब I 1.7764है0, खसरा नम्बर 1962/107 रकबा 0.0200है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8064है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 105 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 1958/107 रकबा 0.0200है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0500है0 में हिस्सा 65/72 भाग ग्राम आंधी, पटवार हल्का आंधी, तहसील आंधी की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम आंधी, पटवार हल्का आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 1961/107 रकब I 1.7764है0, खसरा नम्बर 1962/107 रकबा 0.0200है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8064है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 105 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 1958/107 रकबा 0.0200है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0500है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	